प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 01972/2023-2024 दिनांक 27/01/2024

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या:R/FAI/13137/2023-2024 पत्रावली संख्या:F-38621 दिनांक:2013-2014

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **राज बहादुर सिंह शेर बहादुर सिंह श्यामपति देवी स्मारक समाज सेवा संस्थान / आर0एस0एस0 समाज सेवा संस्थान, कुन्दुर्खा खुर्द चौराहा निकट श्री बरियारे बीर मन्दिर ड्योढ़ी बाजार, तह0 सोहावल, जिला अयोध्या, उ0प्र0, अयोध्या, 224189** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 1221/2013-14 दिनांक-05/12/2013 को दिनांक-05/12/2023 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है। 1150 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(VANDNA SINGH)
8359EB5D0FAF3EB9BEC187687A44D6B60738EF00
Date: 27/01/2024 4:53:16 PM, Location: Ayodhya.

जारी करने का दिनांक-27/01/2024

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

Scanned with AnyScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12AC 259666

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)
16/12/13

रजि. बहादुर सिंह गौर
बहादुर सिंह प्रधान मुन्नी
देवी स्मारक समाज सेवा
संस्थान (आर० एन० राज समाज
सेवा संस्थान) सं० 38621
स्थाई पद

Scanned with AnyScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

र प्रदेश UTTAR PRADESH

12AC 326898

केन्द्रीय कार्यालय निबन्धक समितियाँ फैजाबाद-उ० प्र०

राज बहादुर सिंह शेर बहादुर सिंह श्याम पति स्मारक समाज सेवा संस्थान (आर. सिंह ग्रा. समाज सेवा संस्थान)

फैजाबाद

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म्स समितियाँ तथा चिट्स
फैजाबाद (उ०प्र०)

16/07/13

नियमावली

1. संस्था का नाम : राज बहादुर सिंह शेर बहादुर सिंह श्यामपति देवी स्मारक समाज सेवा संस्थान (आर0एस0एस0 समाज सेवा संस्थान)
2. संस्था का पता : कुन्दुर्खा खुर्द चौराहा, निकट–श्री बरियारे बीर मन्दिर, ड्योढ़ी बाजार, तहसील–सोहावल, जिला–फैजाबाद।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था का उद्देश्य : अक्षरशः स्मृति–पत्र के अनुरूप।
5. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :–

कोई भी वयस्कता प्राप्त भारतीय व्यक्ति जो संस्था के स्मृति–पत्र में वर्णित उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान हो संस्थापक सदस्यों की पूर्व अनुमति पर निर्धारित सदस्यता शुल्क का संदाय कर संस्था की साधारण सभा का सामान्य सदस्य बन सकता है। संस्था में सदस्यों का वर्गीकरण निम्नवत है :–

आजीवन सदस्य :–

वह व्यक्ति जो संस्था को निःस्वार्थ भाव से **10,000/– रु0** नगद या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति प्रदान करेगा वह संस्था का आजीवन सदस्य होगा।

संस्थापक सदस्य :–

इस नियमावली के साथ संलग्न स्मृति–पत्र की धारा 5 में उल्लिखित प्रबन्धसमिति के पदाधिकारी व सदस्यगण संस्था के संस्थापक सदस्य हैं एवं संस्था की सदस्यता के सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम है।

विशिष्ट सदस्य :–

प्रबुद्ध शिक्षाविद समाज के सम्मानित व्यक्ति को संस्थापक सदस्यों के अनुमोदन पर संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत किया जा सकता है, जिनकी संख्या एक समय में पांच से अधिक न होगी एवं इन सदस्यों की सदस्यता अवधि पांच वर्ष होगी तथा इन सदस्यों को मताधिकार प्राप्त होगा।

सामान्य सदस्य :–

अर्हता प्राप्त कोई भी व्यक्ति संस्थापक सदस्यों की पूर्व अनुमति पर **10/– रु0** मासिक सदस्यता शुल्क जमा करके संस्था का सामान्य सदस्य बन सकता है।

6. सदस्यता की समाप्ति :–
   1. मृत्यु हो जाने पर।
   2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
   3. संस्था के प्रति हानिकारक सिद्ध होने पर।
   4. अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।
   5. त्याग–पत्र दिये जाने पर।
   6. नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर।
   7. तीन माह तक का सदस्यता शुल्क न जमा करने पर।
   8. लगातार तीन बैठकों में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर।
   9. भारत की नागरिकता त्याग देने पर।
7. संस्था के अंग :–
   1. साधारण सभा
   2. प्रबन्धकारिणी समिति

सत्यप्रतिलिपि
उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स फैजाबाद

Scanned with AnyScanner

स्मृति–पत्र

1. संस्था का नाम : राज बहादुर सिंह शेर बहादुर सिंह श्यामपति देवी स्मारक समाज सेवा संस्थान (आर०एस०एस० समाज सेवा संस्थान)

2. संस्था का पता : कुन्दुर्खा खुर्द चौराहा, निकट–श्री बरियारे बीर मन्दिर, ड्योढ़ी बाजार, तहसील–सोहावल, जिला–फैजाबाद।

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

4. संस्था का उद्देश्य :–

बालक/बालिकाओं को सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, बौद्धिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास करना।

2. शिक्षा जगत की बहुआयामी नये–नये प्रोग्राम जैसा सरकार योजना बनाये उसे संस्थान में लागू करने हेतु यथा सम्भव प्रयास करना।

3. दैवी आपदाओं/राष्ट्रीय संकट, भूकम्प, बाढ़, सूखा, भू–स्खलन, मार्ग दुर्घटना, अग्नि काण्ड एवं भयंकर बीमारियों आदि के समय एवं आपातकालीन परिस्थितियों में पीड़ितों की हर सम्भव सहायता करना।

सत्य प्रतिलिपि

4. बालक/बालिकाओं को हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, आदि भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था करना तथा समय–समय पर प्रतियोगितायें आयोजित कर विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास करना।

5. ज्ञानवर्धक हितार्थ पुस्तकालय, वाचनालय एवं छात्रावास की निःशुल्क व्यवस्था करना।

गरीब एवं असहाय बच्चों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटीशियन, फैशन डिजाइनिंग एवं शिल्पकला, काष्ठकला, दरी–कालीन, टंकण, आशुलिपिक, बालवाड़ी, आँगनवाड़ी एवं ग्रामोद्योगिक प्रशिक्षण दिलाकर की निःशुल्क व्यवस्था करना तथा ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास हेतु शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, त्वरित शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, सतत् शिक्षा आदि का निःशुल्क संचालन करना।

7. केन्द्रीय विद्यालय C.B.S.E., I.C.S.E., N.C.E.R.T., U.P. Bord, एवं तकनीकी ज्ञान हेतु N.C.V.T. और B.T.E.U.P से तकनीकी शिक्षा हेतु मान्यता लेना एवं शिक्षा परिषद से मान्यता लेना एवं विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करना।

8. समाज में व्याप्त अन्धविश्वास जैसे दहेज उत्पीड़न, बाल विवाह, आदि की रोक थामा के प्रति लोगों को जागरूक करना।

9. बच्चों के शारीरिक विकास हेतु व्यायाम व प्रचलित अन्य खेलों का आयोजन करना।

10. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/तथा वित्तीय संस्थाओं/एजेन्सियों/शिक्षा विभाग/खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग/राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं उनके कार्यक्रमों को संचालित करना तथा आर्थिक सहायता के रूप में ऋण अनुदान प्राप्त करना।

11. शिक्षा के विकास हेतु सभी समुदाय के लिये प्रि–प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट कालेज स्तर तक की शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाओं (यथा प्रि–प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इण्टर कालेज, तथा डिग्री एवं पी०जी० कालेज) की स्थापना एवं संचालन करना जिसके दरवाजे सभी जाति, धर्म, समुदाय के लिये खुले रहेंगे।

शेष पेज............(2) पर

Scanned with AnyScanner

12. उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग कमीशन,लघु कुटीर उद्योग विभाग की नीतियों एवं कार्यक्रमों को अपनाने व उनके प्रशिक्षण केन्द्र खोलकर सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, तेलघानी उद्योग आदि से सम्बन्धित उपयोगी जानकारी देने व उनके प्रशिक्षण केन्द्र खोलना एवं उनको नि:शुल्क संचालन करना।
13. विकलांगो के प्रशिक्षण एवं पुनर्वास की व्यवस्था करना एवं विकलांग कृत्रिम अंगों के लिये शासन द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं में सहयोग प्रदान करना।
14. महिलाओं के कल्याण हेतु शिक्षा की व्यवस्था करना।
15. छात्र, छात्राओं को शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र का सुयोग्य नागरिक बनाने तथा उनके अन्दर आत्म विश्वास, सदाचार, स्वावलम्बन की भावना जागृत करना।
16. दस्तकार बोर्ड, कपार्ट, अवार्ड, सिडबी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनिसेफ, ड्वाकरा, सिफ्सा, सैफ इन्डिया, हेल्पेज इन्डिया, राजीव फाउन्डेशन, नौराड, आवस्केम इन्डिया केयर, राष्ट्रीय महिला कोष,विश्व बैंक, सूडा, डूडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अल्पसंख्यक विभाग उ0प्र0 एवं केन्द्र, केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, पिछड़ा निगम, पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय उ0प्र0, विकलांग निदेशालय द्वारा संचालित महिलाओं एवं बाल विकास कार्यक्रमों तथा ग्रामीण एवं नगरीय विकास परियोजनाओं, विकलांग कल्याण कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार एवं संचालन करना।
17. पर्यावरण से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना एवं लोगो मे पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना।
18. साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी विभाग भारत सरकार, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार एवं उपभोक्ता कल्याणार्थ सम्बन्धित विभाग एवं पर्यावरण संस्थान व जनकल्याण के क्षेत्र मे मिलजुलकर कार्य करना। पालीटेक्निक प्रशिक्षण कालेज, मिनी आई0टी0आई0, आई0टी0आई0, तकनीकी प्रशिक्षण महाविद्यालयों एवं आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु सरकारी, गैर सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यदायी संस्थाओं को सहयोग प्रदान करना एवं संचालन करना।
19. नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, जूनियर टीचर्स ट्रेनिंग, कम्प्यूटर टीचर्स ट्रेनिंग, गेम टीचर्स ट्रेनिंग, आर्ट टीचर्स ट्रेनिंग, म्यूजिक टीचर्स ट्रेनिंग एवं अन्य शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।
20. बी0एड0, बी0पी0एड0, एम0एड0, बी0टी0सी0, आदि पाठ्यक्रमो की शासन से मान्यता प्राप्त कर उसका संचालन करना।
21. प्रशिक्षित अध्यापकों को एकत्रित कर उनके विकास हेतु काम करना।
22. विभिन्न प्रकार के शिक्षक-प्रशिक्षण से सम्बन्धित डिप्लोमा पाठ्यक्रमो का आयोजन करना।
23. आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 इंजीनियरिंग, मेडिकल व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओ की तैयारी कराना।

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

16/12/13

Scanned with AnyScanner

साधारण सभा गठन, बैठक, कोरम, सूचना तथा कार्य:-

गठन:- संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

बैठक:- साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार व विशेष बैठक किसी भी समय आवश्यकता अनुसार सदस्यों को लिखित सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि:- साधारण सभा की सामान्य सभा की बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व लिखित रूप से सदस्यों को दी जायेगी।

गणपूर्ति:- साधारण सभा के कुल सदस्यों मे से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति हेतु पर्याप्त होगी।

साधारण सभा के कर्तव्य:-

1. प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट पारित करना।
3. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट पारित करना।
4. संस्था के नियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन करना।

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन:-

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन वर्ष मे एक बार होगा।

प्रबन्धकारिणी समिति:-

गठन:- संस्था की साधारण सभा द्वारा निर्वाचन के आधार पर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसमें **अध्यक्ष-1, प्रबन्धक-1, कोषाध्यक्ष-1**, तथा **सदस्य-04**, होगें। इस प्रकार प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों की कुल संख्या-**07** होगी।

बैठक:- प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में तीन बार व विशेष बैठक किसी भी समय आवश्यकता अनुसार सदस्यों को लिखित सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि:- प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य सभा की बैठक की सूचना तीन दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना एक दिन पूर्व सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

गणपूर्ति:- प्रबन्धकारिणी समिति के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यो की उपस्थिति गणपूर्ति हेतु पर्याप्त होगी।

रिक्त स्थान की पूर्ति:-

किसी भी प्रकार की आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जाएगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य:-

1. संस्था के विकास के लिए कार्य करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
4. संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, समाज कल्याण विभाग, विदेशी संस्थाओं एवं अन्य वित्तीय संस्थाओ से ऋण, चन्दा, अनुदान व दान प्राप्त करना तथा भूमि-भवन दान स्वरूप प्राप्त करना एवं भवन आदि का निमार्ण करना।

कार्यकाल:- प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल **5** वर्ष का होगा।

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स फैजाबाद

16/12/13

Scanned with AnyScanner

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य:-

अध्यक्ष:-

1. सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. समान मत होने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठकों के लिए दिनांक एवं समय का अनुमोदन करना।
4. बैठकों को स्थगित करना।
5. संस्था की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना।

प्रबन्धक:-

1. संस्था का कार्य मुख्य कार्यपालक के रूप मे करना।
2. संस्था के समस्त बिल वाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
3. संस्था के आय-व्यय का निरीक्षण करना।
4. लेखों एवं अभिलेखों पर हस्ताक्षर करना।
5. संस्था के समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करके प्रमाणित करना।
6. सरकार द्वारा ऋण तथा अनुदान प्राप्त करना।
7. अदालती कार्यवाही की पैरवी करना।
8. कर्मचारियों एवं अध्यापकों, के विशेष अवकाशों की स्वीकृति, नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति, वेतन वृद्धि आदि करना।
9. संस्था की चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
10. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृत करना।
11. संस्था के विकास हेतु अन्य आवश्यक कार्य करना।
12. साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति के प्रस्तावों, निर्णयों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
13. संस्था के अभिलेख एवं प्रपत्र संस्था के कार्यालय में अपनी या अपने द्वारा सुनिश्चित किये गये व्यक्ति की अभिरक्षा में सुरक्षित रखना।
14. बजट के आधार पर संस्था की सम्पत्ति का प्रबन्धन एवं नियन्त्रण करना।
15. संस्था के आय-व्यय का अंकेक्षण प्रत्येक वर्ष करना तथा उसकी रिपोर्ट प्रबन्धकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
16. वे सभी अधिकार एवं कर्तव्य प्रबन्धक के माने जायेगे जिनका उल्लेख किसी अन्य पदाधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य के शीर्षक मे नहीं किया गया है।
17. संस्था के सदस्यों का नाम सदस्यता रजिस्टर मे नोट करना।
18. संस्था की तरफ से पत्र व्यवहार करना।
19. बैठकों की सूचना सदस्यों को लिखित रूप से देना।
20. कार्यवाही लिपिबद्ध करना एवं सुनाना।
21. अन्य कार्य संस्था के हित मे करना।

सत्य प्रतिलिपि

कोषाध्यक्ष:-

1. आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना।
2. दान व चन्दा आदि प्राप्ति कर उसकी रसीद देना।
3. प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित समस्त बिल का भुगतान करना।
4. प्रबन्धक द्वारा सौंपे गये दायित्वों का निर्वाहन करना एवं प्रबन्धक के कार्यों में अपेक्षित सहयोग करना।

11. **संस्था का वित्तीय वर्ष:-**

संस्था का प्रत्येक वित्तीय वर्ष अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च को समाप्त होगा।

12. **संस्था के नियमों/विनियमो में संशोधन प्रक्रिया:-**

संस्था के नियमों व विनियमों मे संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा।

Scanned with AnyScanner

5. संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के नाम पते, एवं पद जिनको सोसाइटी नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया।

क्र0	नाम पिता/पति	पता	पद	व्यवसाय
1	श्रीमती अनीता सिंह पत्नी श्री संतोष कुमार सिंह	ग्राम व पोस्ट-कुदुर्खा खुर्द, तहसील-सोहावल फैजाबाद।	अध्यक्ष	गृहणी
2	श्रीमती पूनम सिंह पत्नी श्री अनिल कुमार सिंह	ग्राम व पोस्ट-कुदुर्खा खुर्द, तहसील-सोहावल फैजाबाद।	प्रबन्धक	गृहणी
3	श्रीमती राम सवारी देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार	ग्राम-भेदुआ बहरेला, तहसील- राम सनेहीघाट, जिला बाराबंकी।	कोषाध्यक्ष	गृहणी
4	श्री संतोष कुमार सिंह पुत्र स्व0 शेर बहादुर सिंह	ग्राम व पोस्ट-कुदुर्खा खुर्द, तहसील-सोहावल फैजाबाद।	सदस्य	संविदाकर्मी
5	श्री अनिल कुमार सिंह पुत्र स्व0 शेर बहादुर सिंह	ग्राम व पोस्ट-कुदुर्खा खुर्द, तहसील-सोहावल फैजाबाद।	सदस्य	संविदाकर्मी
6	श्रीमती कुसुम सिंह पत्नी श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर सिंह	ग्राम-जंगरा बसावनपुर, पोस्ट- सैफपुर, जिला-बाराबंकी।	सदस्य	संविदाकर्मी
7	श्रीमती शैल कुमारी सिंह पत्नी श्री शेर बहादुर सिंह	ग्राम-इटौरा, तहसील-सिरौली गौसपुर, जिला-बाराबंकी।	सदस्य	संविदाकर्मी

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण उपरोक्त स्मृति-पत्र एवं संलग्न नियमावली के नियमानुसार एक संस्था का गठन किया है, जिसे हम सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 21, सन् 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत कराना चाहते हैं।

(सत्य प्रतिलिपि)

दिनांक : 28-12-2013

हस्ताक्षर

अनीता सिंह
पूनम सिंह
रामसवारी सिंह
संतोष कुमार सिंह
Anil Kumar Singh
कुसुम सिंह
शैल कुमारी

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
फैजाबाद
16/12/13

Scanned with AnyScanner

संस्था का कोष :-

संस्था को कोष किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन **अध्यक्ष** एवं **प्रबन्धक** के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट):-

संस्था के आय व्यय का वार्षिक लेखा परीक्षण आवश्यकतानुसार किसी सुयोग्य आडीटर से कराया जायेगा।

संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व:-

संस्था द्वारा पक्ष एवं विपक्ष के मुकद्मों की पैरवी **प्रबन्धक** या उसके द्वारा अधिकृत किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

संस्था के अभिलेख:-

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. एजेण्डा रजिस्टर
4. कैश बुक आदि।

17. संस्था का विघटन:-

संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

(सत्य प्रतिलिपि)

दिनांक : 28-12-2013

हस्ताक्षर

अनीता सिंह
मुन्ना सिंह
राम संवारी सिंह
संतोष कुमार सिंह
Anil kumarsingh
कुसुम सिंह
शैल कुमारी

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
फैजाबाद
16/12/13

16/12/13

Scanned with AnyScanner